कार्यालय कलेक्टर
(जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग)
जिला–नीमच म.प्र.

Email ID-twelfarenee-mp@nic.in Phone 07423-257521

क्र./आदिम–वन अधिकार/2023/2081 नीमच, दिनांक 05.08.2023

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन,
संभाग– नीमच (म0प्र0)

विषय :– गंगाबावड़ी जलाशय योजना तहसील मनासा जिला नीमच के अंतर्गत संशोधित 43.149 हेक्टेयर वन भूमि का एफआरए प्रमाण पत्र भेजने बाबत।

संदर्भ :– आपका पत्र क./3156/कार्य/गंगाबावड़ी वन प्रकरण/2022 दिनांक 17.12.2022

———000———

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित गंगाबावड़ी जलाशय योजना तहसील मनासा जिला नीमच के अंतर्गत संशोधित 43.149 हेक्टेयर वन भूमि का एफआरए प्रमाण पत्र फार्म–1 एवं फार्म–2 संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

जिला संयोजक
जनजातीय कार्य एवं अनु.जा.क.वि.
जिला–नीमच

पृ0क्र./आदिम–स्थापना/2023/2082 नीमच, दिनांक 05.08.2023

प्रतिलिपिः–

वन मण्डलाधिकारी, जिला नीमच की ओर सूचनार्थ।

जिला संयोजक
जनजातीय कार्य एवं अनु.जा.क.वि.
जिला–नीमच

Annexure-1

Form-1

(For Projects Other than Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Neemuch

No. 2079 Dated 05.08.2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance Of the Ministry Of Environment and Forests (MoEF). Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF isseued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights), Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes. It is certified that 43.149 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Water Resources Department (name of user agency) for Construction of Ganga Bawari Tank Project (purpose for diversion of forest land) in Neemuch district falls within jurisdiction of Parda village (s) in Manasa Tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 43.149 hectars of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s). Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to Annexure 05.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section- 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and agricultural communities.

Encl : As above

5/8/23

Collector

District Neemuch

Annexure-II

Form-II

(For Projects Other than Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Neemuch

No. 2080 Dated 05.08.2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance Of the Ministry Of Environment and Forests (MoEF). Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF isseued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights), Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes. It is certified that 43.149 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Water Resources Department (name of user agency) for Construction of Ganga Bawari Tank Project (purpose for diversion of forest land) in Neemuch district falls within jurisdiction of Parda village (s) in Manasa Tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 43.149 hectars of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s). Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to Annexure 05.

(b) The Proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers. Who are eligible under the FRA.

(c) The each concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, If any, having understood the purpose and details or proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Parda village (s) is enclosed as Annexure 03.

(d) The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a Quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section- 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(f) The rigts of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 2 (1) of the FRA.

Encl : As above

5/8/23

Collector

District Neemuch

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, जिला–नीमच

कार्यवाही विवरण

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच के पत्र कमांक/3155/कार्य/गंगाबावड़ी वन प्रकरण/2022 नीमच, दिनांक 17.12.2021 द्वारा नीमच जिले के मनासा उपखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़दा में स्थित गंगाबावड़ी जलाशय योजना हेतु पूर्व में जारी एफ आर ए फार्म–1 कमांक /1035 दिनांक 24.03.2022 एवं फार्म 2 कमांक 1035 दिनांक 24.03.2022 द्वारा 39.399 हेक्टेयर वन भूमि हेतु जारी किया गया था। योजना में 43.149 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता होने से संशोधित 43.149 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमियों का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अनुशंसा हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

गंगा बावड़ी जलाशय योजना हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मनासा उपखण्ड की ग्राम पंचायत पड़दा भेरपुरा के कक्ष कमांक 287, कक्ष कमांक 293, कक्ष कमांक 295 में 43.149 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किया जाना है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अंतर्गत जनपद पंचायत मनासा की ग्राम पंचायत पड़दा की ग्राम सभा में नियमानुसार 50 प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन एवं सहमति पत्र सहित गंगाबावड़ी जलाशय योजना के वनभूमि पर कियान्वयन से ग्रामसभा को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का लेख किया है। ग्रामसभा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुशंसा तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पदेन अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, मनासा के पत्र कमांक/632/वन अधिकार/2023 मनासा, दिनांक 14.02.2023 के संलग्न उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति मनासा के अनुशंसा प्रमाण–पत्र के आधार पर गंगाबावड़ी जलाशय योजना हेतु 43.149 हेक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने के लिये जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

(राकेश कुमार राठौर) जिला संयोजक जनजातीय कार्य एवं अनु.जा.क.वि. जिला नीमच	(विजय सिंह) वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल जिला नीमच	(मयंक अग्रवाल) कलेक्टर जिला–नीमच

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, जिला–नीमच

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच के पत्र कमांक/3155/कार्य/गंगाबावड़ी वन प्रकरण/2022 नीमच, दिनांक 17.12.2022 द्वारा द्वारा गंगाबावड़ी जलाशय योजना हेतु वनपरिक्षेत्र मनासा के पड़दा, भेरपुरा वन क्षेत्र के कक्ष कमांक 287, कक्ष कमांक 293 एवं 295 की 43.149 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रकरण में प्रिमिटिव ट्रायबल ग्रुप (पीटीजी) एवं प्री एग्रीकल्चर कम्यूनिटिज (पीएसी) के मूलभूत अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। प्रस्तावित भूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत उक्त क्षेत्र में वन अधिकार पत्र धारक नहीं है और न ही कोई दावा/आपत्ति शेष है।

यह प्रमाण पत्र कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच की मांग पर उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, मनासा की अनुशंसा के आधार पर दिया जा रहा है।

(राकेश कुमार राठौर)
जिला संयोजक
जनजातीय कार्य एवं अनु.जा.क.वि.,
जिला नीमच

(विजय सिंह)
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल
जिलानीमच

(मयंक अग्रवाल)
कलेक्टर
जिला–नीमच

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति उपखण्ड–मनासा, जिला–नीमच म.प्र.

बैठक कार्यवाही विवरण

कालिया खो जलाशय योजना तहसील मनासा, जिला नीमच के अंतर्गत संशोधित 22.26 हे. वन भूमि, लोक निर्माण विभाग अंतर्गत बरखेडा–बलाखेडा–चौकडी मार्ग तहसील मनासा, जिला नीमच के अंतर्गत 4.2108 हे. वन भूमि एवं गंगाबावडी जलाशय योजना तहसील मनासा की संशोधित 43.149 हे. वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा किये जाने संबंध बैठक का आयोजन दिनांक 14.02.2023 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड–मनासा, जिला–नीमच में किया गया प्रावधानों अतर्गत निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया।

1. श्री पवन बारिया, (अनुविभागीय अधिकारी एवं पदेन अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति मनासा, जिला–नीमच)

2. श्री राजाराम परमार (उप वनमंडलाधिकारी एवं सदस्य उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति मनासा, जिला–नीमच)

3. श्री बच्चुसिंह तोमर (अधीक्षक बालक छात्रावास कुकडेश्वर एवं पदेन सचिव उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति मनासा, जिला–नीमच)

बैठक में वन विभाग की प्रस्तावित वन भूमि के व्यपवर्तन के बारे में निम्नलिखित बिंदुओ पर चर्चा की गई।

1. कार्यालय कलेक्टर जिला–नीमच (जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग) का पत्र क्रमांक/वन अधिकार/2022/27 नीमच दिनांक 05.01.23, पत्र क्रमांक/वन अधिकार/2022/25 एवं पत्र क्रमांक/वन अधिकार/2022/29 नीमच दिनांक 05.01.23 नीमच दिनांक 05.01.23 के अनुसार कालिया खो जलाशय योजना तहसील मनासा की संशोधित 22.26 हे, लोक निर्माण विभाग अंतर्गत बरखेडा–बलाखेडा–चौकडी मार्ग तहसील मनासा के अंतर्गत 4.2108 हे. तथा गंगाबावडी जलाशय योजना तहसील मनासा की संशोधित 43.149 हे. वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत एफ.आर.ए. प्रमाणपत्र के संबंध में ग्राम पंचायत पड़दा, सांकरियाखेडी एवं चौकडी में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाकर प्रस्ताव ठहराव पारित कर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

2. जल संसाधन संभाग नीमच जिले के अंतर्गत मनासा विकासखण्ड में कालिया खो जलाशय योजना अंतर्गत संशोधित 22.26 हे. वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ग्राम पंचायत सांकरिया खेडी से प्राप्त ग्रामसभा दिनांक 18.01.2023 प्रस्ताव क्रमांक 01 प्राप्त हुआ।

3. लोक निर्माण विभाग, संभाग नीमच द्वारा बरखेडा–बलाखेडा–चौकडी मार्ग तहसील मनासा जिला नीमच नवीन मार्ग में 4.2108 हे. वन भूमि कक्ष क्रमांक 385, 386 में आवश्यकता होने से गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन हेतु वन भूमि, चौकडी ग्राम पंचायत के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ग्राम पंचायत चौकडी से प्राप्त ग्राम सभा दिनांक 27.01.2023 प्रस्ताव क्रमांक 05 पारित किया जाकर प्राप्त हुआ है।

4. जल संसाधन विभाग नीमच तहसील मनासा जिला नीमच में गंगा बावडी जलाशय योजना अंतर्गत संशोधित 43.149 हे. वन भूमि ग्राम पंचायत पडदा भेरपुरा के कक्ष क्रमांक 287, 293, 295 मे गैर

अनुविभागीय अधिकारी
उपखण्ड–मनासा, जिला–नीमच (म.प्र.)

वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ग्राम पंचायत पडदा की ग्राम सभा दिनांक 13.01.2023 प्रस्ताव क्रमांक 01 ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाकर प्राप्त हुआ है।

5. संबंधित ग्राम सभा में यह प्रमाणित किया गया है कि एफ.आर.ए. के तहत सभी औपचारिकताएं/प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के डायवर्शन के लिये अपनी सहमति दी है एवं वन भूमि के संबंध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः कालिया खो जलाशय योजना तहसील मनासा की संशोधित 22.26 हे, लोक निर्माण विभाग अंतर्गत बरखेडा–बलाखेडा–चौकडी मार्ग तहसील मनासा के अंतर्गत 4.2108 हे. तथा गंगाबावडी जलाशय योजना तहसील मनासा की संशोधित 43.149 हे. वन भूमि व्यपवर्तन करने की अनुशंसा उपखण्ड वन अधिकार समिति के द्वारा की जाती है एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की और अग्रेषित किया जाता है।

श्री पवन बारिया
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं
पदेन अध्यक्ष उपखंड स्तरीय वन अधिकार
समिति मनासा, जिला–नीमच

14.02.23
श्री राजाराम परमार
उप–वनमंडलाधिकारी एवं
सदस्य उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति
मनासा, जिला–नीमच

14.02.23
श्री बच्चुसिंह तोमर
अधीक्षक बालक छात्रावास कुकडेश्वर एवं
पदेन सचिव उपखंड स्तरीय वन अधिकार
समिति मनासा, जिला–नीमच

कार्यालय ग्राम पंचायत पड़दॉ, जनपद पंचायत मनासा

जिला नीमच म0प्र0

–:ग्राम सभा का सहमति पत्रः–

प्रमाणित किया जाता है कि

01. (आवेदक विभाग का नाम) म.प्र. जल संसाधन विभाग कि .... (परियोजना का नाम) गंगाबावड़ी जलाशय योजना (कार्य का नाम) गंगाबावड़ी जलाशय का कार्य किया जाना प्रस्तावित है पंचायत क्षैत्र के ग्राम पड़दॉ, मातारूण्ड़ी, गंगाबावड़ी, बलपुरा, भेरपुरा, सुण्ड्री आरक्षित/संरक्षित वन क्षैत्र के वन खंड के कक्ष कमांक 287 पड़दॉ, 293 भेरपुरा, 295 भेरपुरा में हैं। उक्त भूमि के व्यपर्वतन का प्रस्ताव वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के बीच विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
02. न भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत् वन निवासी (अधिकारों कि मान्यता) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत् पात्र वन निवासीयों कि ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परिक्षण एवं उस पर चर्चा विशेष ग्राम सभा कि बैठक दिनांक 13/01/2023 को कि गई, जिसमें ग्राम सभा के 50प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थें।
03. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपर्वतन के लिए आवेदित वन भूमि क सम्पूर्ण क्षैत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत् वन निवासी (वन अधिकारों कि मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रकियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा के व्यपवर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य पंचायत क्षैत्र के विकास कि संभावना है।
04. वनभूमि व्यपर्वतन के फलस्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षैत्र विकास कि संभावना है।

अतः ग्राम सभा एदद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करता हैं।

संलग्न :– ग्राम सभा कि बैठक की कार्यवाही विवरण कि छायाप्रति।

दिनांक : 13/01/2023

सचिव
ग्राम पंचायत पड़दॉ

कार्यालय ग्राम पंचायत पड़दॉ

जनपद पंचायत : मनासा जिला : नीमच

प्रमाणित किया जाता है कि :–

01. जल संसाधन विभाग नीमच (आवेदक विभाग का नाम) की गंगाबावड़ी जलाशय (परियोजना का नाम) निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पंचायत क्षैत्र के आरक्षित/संरक्षित वन क्षैत्र के वनखण्ड़ पड़दॉ, भेरपुरा के कक्ष कं. 287, 293, 295 मे वन क्षैत्र में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम् 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष्रा विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।

02. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत् वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र का निवासीयों की ग्राम सभ के समक्ष रखा गया। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा विशेष ग्राम सभा की बैठक दिनांक 13/01/2023 को की गई जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थें।

03. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदिक वन भूमि के संपूर्ण क्षैत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत् वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताऐं/प्रकियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।

04. वन भूमि व्यपर्वतन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षैत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एदद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती हैं

संलग्न :– ग्राम सभा के ठहराव/प्रस्ताव की छायाप्रति।

दिनांक : 13/01/2023

सचिव
ग्राम पंचायत पड़दॉ